समक्ष: जय सिंह सेखों, न्यायमूर्ति

श्याम लाल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

क्रिमिनल मिसेलेनस नं. 1989 का 237.

22 अप्रैल, 1991

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482- खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954- धारा 7 और 16 (1) (ग)- खाद्य निरीक्षक को हल्दी पाउडर का नमूना लेने से रोका गया- ट्रायल कोर्ट को प्रक्रिया तय करने में 2.5 साल लग रहे हैं- क्या देरी के आधार पर शिकायत को रद्द किया जा सकता है?

अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक मंच आपराधिक मामलों के निपटान में अनावश्यक विलम्ब के खिलाफ हैं क्योंकि यह अभियुक्त को त्वरित विचारण के अधिकार से वंचित करने के समान है, फिर भी इस संबंध में कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आपराधिक अपराध के प्रत्येक अभियोजन को एक निश्चित संख्या में वर्षों तक मामले के निपटान में विलम्ब के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मामले की गंभीर परिस्थितियों के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों, जिनके परिणामस्वरूप इस तरह की देरी हुई, को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका जिसमें अनुरोध किया गया है कि याचिका को स्वीकार किया जाए, याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत और 26 सितंबर, 1988 को उसके खिलाफ आरोप तय किए गए और उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया है

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम की धारा 7/16 (1) (c) और 26 सितंबर, 1988 को याचिकाकर्ता के खिलाफ खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम की धारा 16 (i) (c) के साथ धारा 7 के तहत आरोप तय किए गए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. एन. मेहतानी।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता पी. एल. वर्मा।

निर्णय

जे. एस. सेखों, न्यायमूर्ति।

(1) शाम लाल, याचिकाकर्ता ने शिकायत को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अंतर्निहित अधिकारिता और खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 16 (1) (c) के तहत अपराधों के लिए विचारण न्यायालय के आदेश को इस आधार पर लागू किया है कि विचारण न्यायालय को अधिनियम की धारा 16-A के तहत विलंबित स्तर पर आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था

कि मामले को वारंट मामले के रूप में चलाया जाना चाहिए क्योंकि संक्षिप्त परीक्षण में पर्याप्त सजा नहीं दी जा सकती है। यह भी कहा गया है कि कई वर्षों से मुकदमे के लंबित रहने के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना को नकार दिया गया था।

(2) इस याचिका के निपटारे के लिए प्रासंगिक शिकायत अनुलग्नक पी. 1 में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि 16 मई, 1984 को लगभग 11.30 a.m. श्री इंदर नाथ सहगल, खाद्य निरीक्षक, असंध, डॉक्टर बलबीर सिंह चौधरी, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, करनाल के साथ याचिकाकर्ता शाम लाल की दुकान पर गए। याचिकाकर्ता ने अपने व्यावसायिक परिसर में बिक्री के लिए 80 किलो हल्दी पाउडर रखा था। खाद्य निरीक्षक ने तब अपनी पहचान का खुलासा किया और आरोपी-याचिकाकर्ता को हल्दी का नमूना देने के लिए कहा, लेकिन याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे पहले ही खाद्य मिलावट अधिनियम के तहत एक अन्य मामले में फंसाया जा चुका है, हालांकि मिलावट कंपनी द्वारा की गई थी। हंगामा सुनकर मदन लाल और पियरे लाल, गवाह भी वहां पहुंचे। उन्होंने आरोपी को यह समझाने की कोशिश की कि उसे गलत तरीके से फंसाया नहीं जाएगा, लेकिन प्रयोगशाला से नमूने का विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद अगर यह मिलावटी पाया जाता है, तो ही उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर अपना आपा खो दिया और खाद्य निरीक्षक को दुकान के बरामदे से बाहर धकेल दिया और उसके शटर गिरा दिए। खाद्य निरीक्षक द्वारा 18 मई, 1984 को शिकायत दर्ज कराई गई थी।

(3) विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध उपर्युक्त अपराधों के लिए 7 अक्टूबर, 1985 को आरोप तय किया। तत्पश्चात, 14 मार्च, 1988 को विचारण न्यायालय ने (इस मामले को वारंट मामले के रूप में विचारण करने में अवैधता से अवगत होने के बाद, हालांकि अधिनियम की धारा 16-A के प्रावधानों के अनुसार संक्षिप्त तरीके से मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी) इस आशय का आदेश पारित किया कि इसका मुकदमा वारंट मामले के रूप में चलाया जाना चाहिए क्योंकि मामले के विचारण में संक्षिप्त तरीके से, उपरोक्त उल्लिखित अपराधों के लिए पर्याप्त सजा नहीं दी जा सकती है। इसके बाद निचली अदालत ने 26 सितंबर, 1988 को आरोप को फिर से तय किया और निर्देश दिया कि गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाएं।

(4) यह प्रश्न कि क्या विचारण न्यायालय दिनांक 14 मार्च, 1988 [अर्थात् आरोप विरचित किए जाने के लगभग 2.5 वर्ष] दिनांकित आदेश पारित कर सकता है, यह न्यायोचित ठहराने के लिए कि मामले का विचारण वारंट मामले के रूप में किया जाना चाहिए और सजा की पर्याप्तता के आधार पर संक्षिप्त तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा खंड पीठ को भेजा गया था [दिनांक 11 जनवरी, 1990 के आदेश द्वारा]। डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई को वारंट मामले के रूप में उचित ठहराते हुए आदेश पारित करने के लिए निचली अदालत की शक्तियों के पक्ष में संदर्भ का जवाब देते हुए कहा था कि किसी को भी किसी भी प्रक्रिया में निहित अधिकार नहीं है।

(5) श्री एच. एन. मेहतानी, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने राम चंदर बनाम हरियाणा राज्य, बलवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, दया राम बनाम हरियाणा राज्य, नंद लाल बनाम हरियाणा राज्य, चतुर्भुज बनाम हरियाणा राज्य और महाबीर प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य पर भरोसा रखते हुए तर्क दिया कि उपरोक्त मामलों में तीन से छह साल की देरी को इस अदालत द्वारा मामले को फिर से सुनवाई के लिए वापस नहीं करने के लिए पर्याप्त माना गया था। इसका कारण यह था कि इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त-याचिकाकर्ता को और अधिक परेशान किया जाएगा। दूसरी ओर राज्य के विद्वत वकील श्री पी. एल. वर्मा ने कहा कि यह जघन्य प्रकृति का मामला है क्योंकि अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने खाद्य निरीक्षक को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोक दिया था और इस तरह के मामलों के निपटारे

में केवल देरी को संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए।

(6) इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक मंच आपराधिक मामलों के निपटारे में अनावश्यक विलंब के खिलाफ हैं क्योंकि यह अभियुक्त को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करने के बराबर है, फिर भी इस संबंध में कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि आपराधिक अपराध के प्रत्येक अभियोजन को एक निश्चित संख्या के लिए मामले के निपटारे में देरी के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मामले की गंभीर परिस्थितियों के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों, जिनके परिणामस्वरूप इस तरह की देरी हुई, को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मंगीलाल व्यास बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के निपटारे में देरी के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था, हालांकि यह आरोपों की प्रकृति और साक्ष्य की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लगभग 25 वर्षों से निचली अदालत के समक्ष लंबित था।

(7) दिए गए मामले में, अभियुक्त-याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया जाता है कि उसने हल्दी पाउडर का नमूना लेने के लिए इंस्पेक्टर को बलपूर्वक रोककर जघन्य प्रकृति का अपराध किया है। इसलिए याचिका को खारिज करने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता को अपने वकील के माध्यम से 13 मई, 1991 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया जाता है। निचली अदालत को मामले का शीघ्रता से निपटान करने का निर्देश दिया जाता है, अधिमानतः छह महीने के भीतर।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा